



**प्रेस नोट**

**पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद**

**दिनांक 10.01.2025**

**थाना लोनी पुलिस द्वारा सट्टा लगाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सट्टे के कुल 250/- रुपये, डायरी, सट्टा पर्ची व पेन बरामद ।**

आज दिनांक 10.01.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर सट्टा लगाने वाला एक अभियुक्त सोनू पुत्र समयदीन निवासी पुट्टी धनौरा थाना बडौत जिला बागपत को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया । कब्जे से 250/- रुपये, डायरी, सट्टा पर्ची व एक पेन बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर धारा-13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**पूछताछ का विवरण -**

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं लोगों को लुभाकर एक रुपये के दस रुपये मिलेंगे की बात कहकर नम्बरो पर पैसे लगवाता हूँ और मुनाफा कमाकर अपने शौक पूरे करता हूँ ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता -**

सोनू पुत्र समयदीन निवासी पुट्टी धनौरा थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 27 वर्ष

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

**बरामदगी का विवरण -**

250 रुपये/-, एक डायरी, सट्टा पर्ची व एक पेन बरामद ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम -**

थाना लोनी पुलिस टीम

**थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा रेस्टोरेन्ट में रोटी बनाते समय रोटियों पर थूकने वाला करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही का विवरण:** आज दिनांक 10.01.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें एक व्यक्ति रेस्टोरेन्ट में रोटी बनाते समय रोटियों पर थूक रहा दिखाई दे रहा है । जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना खोड़ा पुलिस द्वारा वीडियो में प्रदर्शित 01 अभियुक्त इरफान पुत्र अनवार निवासी धामपुर नया सराय नई बस्ती चांद मस्जिद के पास थाना नगीना जनपद बिजनौर हाल निवासी दिल्ली 06 होटल (रेस्टोरेन्ट) सोम बाजार आदर्श नगर खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त इरफान पुत्र अनवार उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 272,274,275 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**घटना का विवरण:** वीडियो का संज्ञान लेते हुए यह तथ्य प्रकाश में आए कि दिनांक 09.01.2025 को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जो कि BAJRANGI VISHAL @BajrangiV56116 के ट्वीट थाना ग्रुप से खोलकर चैक किया गया तो उसमें एक व्यक्ति रोटी बनाते हुये उस पर थूककर तंदूर में रोटी डाल रहा है जो थाना खोड़ा के चौकी क्षेत्र लौधी चौक का बताया जा रहा है और जाँच करने पर यह तथ्य प्रकाश एक व्यक्ति जिसका नाम इरफान पुत्र अनवार रोटी बनाते हुये, रोटी पर थूककर तंदूर में रोटी डाल रहा है जो दिल्ली 6 होटल सोम बाजार आदर्श नगर खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद का होना पाया गया है । जिसके सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गाजियाबाद अधिकारी द्वारा सैम्पलिंग करायी गयी ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

इरफान पुत्र अनवार निवासी धामपुर नया सराय नई बस्ती चांद मस्जिद के पास थाना नगीना जनपद बिजनौर हाल निवासी दिल्ली 06 होटल (रेस्टोरेन्ट) सोम बाजार आदर्श नगर खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

## गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर संक्रमण फैलाने व दुर्भावनापूर्ण खाना बनाने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

**स्वाट टीम नगर जोन एवं थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी/डकैती की घटना कारित करने वाले 3 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 10,49,535/- रूपये नगद व हीरे, सोने, चांदी के आभूषण बरामद (बरामद आभूषणों की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रूपये)।**

## घटना का विवरण:-

दिनांक 08.01.2025 को वादी रामदास गुप्ता पुत्र स्व0 शान्ति प्रकाश निवासी केए-101 थाना कविनगर गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर वादी के नौकर चन्दन व उसके 4-5 साथी नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी की पत्नी को कमरे में बन्द करके घर में रखे नकदी व सोने, चांदी, हीरे के जेवरात की चोरी/डकैती कर ले जाने के संबंध में थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

## कार्यवाही का विवरण:-

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 10.01.2025 को अभियुक्त 1. चन्दन कुमार पुत्र राम उदगार कामत निवासी ग्राम बरहारा थाना मरौना जिला सुपौल बिहार उम्र 20 वर्ष 2. ओमप्रकाश पुत्र जोगेन्द्र कामत निवासी ग्राम बरहारा थाना मरौना जिला सुपौल बिहार उम्र 20 वर्ष 3. सुनील कुमार पुत्र शिवशंकर निवासी ग्राम बारहा पारा थाना बजीरगंज जिला गोंडा उम्र 28 वर्ष को मुखर्जी पार्क के पास चौकी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

## पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त चन्दन उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं 2 वर्षों से कोठी नं0 केए-101 में नौकरी करता था। पैसे व गहनों कहां रखे रहते हैं, इसके बारे में मुझे पता था। जिसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। दिनांक 04.01.2025 को गौरव भईया अपने बच्चों के साथ गोवा घुमने गये थे। घर पर केवल बुजुर्ग रामदास गुप्ता व उनकी पत्नि सुमित्रा गुप्ता ही थे और घर का सीसीटीवी कैमरा खराब चल रहा था ये भी मुझे पता था। मैंने यह बात अपने साथी ओमप्रकाश को बतायी वह अपने दोस्तों के साथ कोठी नं0 केए-101 के पास चाय की दुकान पर दिनांक 07.01.2025 को पहुंचे। हम चारों मिले और रात को समय करीब 08.45 बजे हमने उक्त घटना को अंजाम दिया और हम लोगों ने आरडीसी राजनगर में जाकर पैसों का बंटवारा कर लिया। आज दिनांक 10.01.2025 को हम किसी भी प्रकार से बिहार भागने की फिराक में थे। आज पैदल लाल कुआं की तरफ जाते समय मुखर्जी पार्क के पास से आप लोगों ने पकड़ लिया। अभियुक्त ओमप्रकाश व सुनील कुमार ने भी अभियुक्त चन्दन की बात का समर्थन किया।

## अभियुक्त का नाम पता-

1. चन्दन कुमार पुत्र राम उदगार कामत निवासी ग्राम बरहारा थाना मरौना जिला सुपौल बिहार उम्र 20 वर्ष
2. ओमप्रकाश पुत्र जोगेन्द्र कामत निवासी ग्राम बरहारा थाना मरौना जिला सुपौल बिहार उम्र 20 वर्ष
3. सुनील कुमार पुत्र शिवशंकर निवासी बारहा पारा थाना बजीरगंज जिला गोंडा उम्र 28 वर्ष

## बरामदगी-

1. एक सफेद धातु का सिक्का, एक अदद घड़ी फोरासेल्स कम्पनी, चांदी के सिक्के 0133, डायमण्ड सात कड़े, गोल्ड की चार पतही छड़ी और 01 चुड़ी, एक ग्रीन मोतियों की माला गोल्ड सहित, एक ब्राउन पीली माला, दो हीरे और गोल्ड के ब्रेसलेट, तीन लर का मांगटीका पीली धातु, तीम मोतियों की माला सफेद धातु, एक सैट गले व कान का सफेद धातु का, दो कान का सहारा पीली धातु, एक नग लाल रंग, कान का टप्स सफेद धातु (2) मोती सहित, एक सफेद मोती का हुक, एक अंगुठी व 4 बिछुआ चांदी का, एक बड़ा कटोरा चांदी का
2. 10,49,535/- रूपये नगद

## गिरफ्तार करने वाले टीम:-

स्वाट टीम नगर जोन व थाना कविनगर पुलिस टीम